संख्या-8/2025/294/एक-1-2025-1-1/71/2025-रा0-1

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2025**

विषयः- मेसर्स टोरेंट ऊर्जा, प्रा0लि0 को 150 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने हेतु ग्राम हर्षपुर, तालबेहट अन्दर व सुनौरी, तहसील-तालबेहट, जनपद ललितपुर में विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1104/आठ-एल0ए0सी0-भूमि क्रय अनुमति/2024-25 दिनांक-22.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मेसर्स टोरेंट ऊर्जा, प्रा0लि0 को 150 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु ग्राम हर्षपुर, तालबेहट अन्दर व सुनौरी, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर में 550 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुमति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में राज्यपाल महोदया मेसर्स टोरेंट ऊर्जा, प्रा0लि0 को 150 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु ग्राम हर्षपुर, तालबेहट अन्दर व सुनौरी, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर में 550 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैः-

(1) मेसर्स टोरेंट ऊर्जा, प्रा0लि0 को 150 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था 89 की उपधारा-(4) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-99/98 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) आवेदक कंपनी अपनी आवश्यकता की भूमियों का क्रय इस प्रकार करे कि पहाड़ खाते की भूमि, कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमियों के मध्य न पड़े, क्योंकि पहाड़ खाते की भूमि सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है। यदि भूमि मध्य में आती है तो भूमि का किसी भी दशा में विनिमय नहीं किया जायेगा।

(7) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) संस्था द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेशसरकार/प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय/प्रावधान उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(11) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(12) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
(4) अधिकृत हस्ताक्षरी, मेसर्स टोरेन्ट ऊर्जा 9 प्रा0लि0, पता-साइबर हाइट, 8 फ्लोर, 810/811 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।